

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2026 को द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई में आयोजित मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सेज़, ऐरोली, नवी मुंबई के क्षेत्र-विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु अनुमोदन समिति की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of 40th Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of M/s. Capgemini Technology Services India Limited - SEZ, at Airoli, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 08.10.2026, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

सेज़ का नाम	कैपजेमिनी-विशेष आर्थिक क्षेत्र
Name of the SEZ	Capgemini-SEZ
सेक्टर	सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएँ
Sector	IT/ITES
मीटिंग नंबर	40वीं
Meeting No.	40th
दिनांक	08.10.2026
Date	08.10.2026

उपस्थित सदस्य/ Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री. मयूर आर. मानकर Shri. Mayur R. Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री. सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner, Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	डॉ. संदीप डी. भोसले Dr. Sandip D. Bhosale	उप विकास आयुक्त Deputy development commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ
4	श्री अश्विन गोपालकर Shri. Ashwin Gopalkar	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
5	श्री विवेक वर्मा Shri, Vivek Verma	उप आयुक्त / Deputy Commissioner	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar

6	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विकास आयुक्त के मनोनीत व्यक्ति Nominee of Development Commissioner of Industries, Government of Maharashtra
7	श्री जय मनोज शाह Shri. Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ CAPGEMINI -SEZ

श्री पलाश शंकर, अपर विकास आयुक्त (SEEPZ-SEZ), श्री हनीश राठी, अपर विकास आयुक्त (NEW-SEZ), श्री अमन शर्मा, अपर विकास आयुक्त (NEW-SEZ), श्री सुदर्शन शिंदे, अपर विकास आयुक्त (NEW-SEZ), श्री राहुल शिवन्नागोल, अपर विकास आयुक्त (NEW-SEZ) तथा श्री वैभव उगले, अपर विकास आयुक्त (NEW-SEZ) उपस्थित थे। बैठक में सहायता प्रदान करने तथा बैठक का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने हेतु सुश्री दिव्यांशी गोयल, अवर श्रेणी लिपिक (LDC) ने भी भाग लिया।

एजेंडा मद सं. 01: दिनांक 09.06.2026 को आयोजित 39वीं बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) की पुष्टि।

दिनांक 09.06.2026 को आयोजित 39वीं बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

एजेंडा मद सं. 02: मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की कंपनी की शेयरधारिता संरचना में परिवर्तन के संबंध में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

मूल अनुमोदन पत्र (LOA) संख्या: SEEPZ/NEWSEZ/GIGAPLEXTHANE/01/2012-13/7982, दिनांक 24.07.2013।
कंपनी की शेयरधारिता संरचना में परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार है:

Shri Palash Shankar, ADC (SEEPZ-SEZ), Shri Hanish Rathi, ADC (NEW-SEZ), Shri Aman Sharma, ADC (NEW-SEZ), Shri Soodershan Shinde, ADC (NEW-SEZ), Shri Rahul Shivannagol, ADC (NEW-SEZ), Shri Vaibhav Ugale, ADC (NEW-SEZ), Shri Kishor Pawade, ADC (NEW-SEZ) and Ms., Divyanshi Goyal (LDC) also attended the meeting to provide assistance and smooth functioning of the meeting.

Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 39th Meeting held on 09.06.2026.

The Minutes of the 39th Meeting held on 09.06.2026 were confirmed with consensus.

Agenda Item No. 02: Proposal of M/s. Capgemini Technology Services India Ltd. For approval w.r.t. Change in Shareholding Pattern of the Company.

Original LOA No:
SEEPZ/NEWSEZ/GIGAPLEXTHANE/01/2012-13/7982,
Dated 24.07.2013)

The Details of Change in Shareholding Pattern of the Company are as under:

LIST OF SHAREHOLDING PATTERN (PRE & POST):**SHAREHOLDING PATTERN OF CAPGEMINI AS ON 30TH NOVEMBER 2021**

Sr. No.	Category	Toral Shares	% Equity
1.	Capgemini America Inc.	25,487,362	43.10%
2.	Capgemini SE	20,750,621	35.09%
3.	Capgemini North America Inc.	12,764,378	21.58.%
4.	Minority Public Shareholding	137,139	0.23
Total		59,139,500	100.00%

SHAREHOLDING PATTERN OF CAPGEMINI AS ON 02ND JULY 2026

Sr. No.	Category	Toral Shares	% Equity
1.	Capgemini America Inc.	25,487,362	43.00%
2.	Capgemini SE	20,750,621	35.01%
3.	Capgemini North America Inc.	12,764,378	21.54.%
4.	Minority Public Shareholding	268,935	0.45%
Total		59,271,296	100.00%

**There is Change in Shareholding Pattern of the company.*

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने अनुदेश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के प्रावधानों के अनुसार, मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को **अनुमोदित** किया। इसके अतिरिक्त, समिति ने यूनिट को अनुदेश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

1. परिवर्तित इकाई के लिए एसईजेड की गतिविधियों की निरंतरता निर्बाध रूप से बनी रहेगी तथा उसकी जिम्मेदारियों एवं दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. परिवर्तित इकाई तथा उसके घटकों द्वारा सभी लागू पात्रता मानदंडों, जिनमें सुरक्षा संबंधी मंजूरीयाँ आदि शामिल हैं, को पूरा किया जाना आवश्यक होगा।
3. पूँजीगत लाभ, इक्विटी में परिवर्तन, हस्तांतरण, कर-देयता आदि जैसे विषयों को विनियमित करने वाले राजस्व, कंपनी कार्य मंत्रालय, सेबी आदि से संबंधित सभी अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. इक्विटी में परिवर्तन/विलय, विभाजन, समामेलन अथवा स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित संपूर्ण वित्तीय विवरण तत्काल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्व विभाग के सदस्य (IT&R) तथा संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. आकलन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण अथवा विलय, विभाजन, समामेलन, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर-देयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कटौती हेतु पात्रता निर्धारित करने का अधिकार होगा, जहाँ भी लागू हो।
6. आवेदक द्वारा संबंधित राज्य सरकार के लागू कानूनों का अनुपालन किया जाएगा, जिनमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं।
7. आवेदक द्वारा यूनिट का स्थायी खाता संख्या (PAN) तथा क्षेत्राधिकार वाले आकलन अधिकारी का विवरण CBDT को प्रस्तुत किया जाएगा।
8. सभी अभिलेखों में आवेदक को नए नाम से अथवा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दर्ज/मान्यता प्रदान की जाएगी।

Decision: After deliberation, the Committee **approved** the proposal of of M/s. Capgemini Technology Services India Ltd. for Change in shareholding pattern of the unit in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021, Further, the Committee also directed the Unit to Comply with the following safeguard in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021.

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

The Meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

Digitally Signed By
Shri. Dnyaneshwar B Patil
Date: 15-10-2026
Time: 12:39:50

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ